

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 87/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
मैसर्स मणिभवनम होम फाइनेंस इण्डिया प्रा. लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी राजेश शर्मा

पता-सैकिण्ड फ्लोर, एन. टू, दक्षिण विस्तार, भाग प्रथम, नई दिल्ली, 110049

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. सुवा देवी पत्नी बाबूलाल सैनी

प्रथम पता:- वार्ड नं. 8, टीबा वाली ढाणी, दायरा, ग्रामीण, सीकर, राजस्थान, 332709

द्वितीय पता:- कांवट रोड, ऊन फैक्ट्री के सामने, टीबा वाली ढाणी, तहसील खण्डेला, दायरा, सीकर, राजस्थान

2. बाबूलाल सैनी पुत्र छोटूराम सैनी

पता:- कांवट रोड, ऊन फैक्ट्री के सामने, टीबा वाली ढाणी, तहसील खण्डेला, दायरा, सीकर, राजस्थान 332709

3. गोविन्द सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी

पता:- वार्ड नम्बर 9, बोफा की ढाणी, खण्डेला ग्रामीण, सीकर, राजस्थान 332709

4. श्रीराम सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी

पता:- वार्ड नम्बर 14, टीबा की ढाणी, तहसील खण्डेला, दायरा ग्रामीण, सीकर, राजस्थान 332709


-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 03 जून, 2025


1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री हिमांशु सिंघल द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **सुवा देवी पत्नि बाबूलाल सैनी, बाबूलाल सैनी पुत्र छोटूराम सैनी, गोविन्द सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी एवं श्रीराम सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुवा देवी** के स्वामित्व की बंधक आवासीय अचल सम्पत्ति **खसरा नम्बर 1576, 1579 के 1/3 हिस्से में स्थित आवासीय प्लॉट/मकान, ग्राम दायरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 364.16 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरव दिशा में पशुवाडा, पश्चिम दिशा में जमीन व उसके बाद रास्ता, उत्तर दिशा में धन्नाराम का मकान एवं दक्षिण दिशा में मकान रामजीलाल सैनी व रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹8,00,000/- (अक्षरे रूपये आठ लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **28.12.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरंफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **28.12.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **सुवा देवी पत्नि बाबूलाल सैनी, बाबूलाल सैनी पुत्र छोटूराम सैनी, गोविन्द सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी एवं श्री राम सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुवा देवी** के स्वामित्व की बंधक आवासीय अचल सम्पत्ति **खसरा नम्बर 1576, 1579 के 1/3 हिस्से में स्थित आवासीय प्लाट/मकान, ग्राम दायरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 364.16 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में पशुबाडा, पश्चिम दिशा में जमीन व उसके बाद रास्ता, उत्तर दिशा में धन्नाराम का मकान एवं दक्षिण दिशा में मकान रामजीलाल सैनी व रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/ वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **03 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (मकुल शर्मा)
मकुल शर्मा
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर